कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

पत्रांक 759 /14—10(सुलतानपुर)दिनांक,अयोध्या,सितम्बर 09 /2020।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः— सांसद आदर्श ग्राम योजना (एम0ए0जी0वाई0) वल्लीपुर, विकास खण्ड—कूरेभार के अन्तर्गत जोन—2 (रतनपुर) पेयजल पाईप लाइन विछाने से प्रभावित आरक्षित / संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— प्रभागीय वनाधिकारी ,वन प्रभाग, सुलतानपुर का पत्रांक 977/14—1 दिनांक 03—09—2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, सुलतानपुर ने उक्त प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी सुलतानपुर द्वारा उपलब्ध करायें गये प्रस्ताव का परीक्षण कर उसकी तीन प्रतियां अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्तुति कर सी0डी0 सहित संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ए0के0शुक्ला)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सा0 वा0 ,सरयू क्षेत्र,अयोध्या।

पृ0सं0 759/उक्त दिनांक

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, सुलतानपुर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न होने दें।

प्रतिलिपि— अधिशाषी अभियन्ता अति0 निर्माण, खण्ड उत्तर प्रदेश जल निगम, सुलतानपुर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र, जो उन्हें भी पृष्ठांकित है, के कम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ किया जाय।

(ए0के0शुक्ला)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सा0 वा0, सरयू क्षेत्र, अयोध्या।

(15)

भाग–iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (~~हाँ~~/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। नहीं।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। हाँ

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। प्रभागीय वनाधिकारी सुलतानपुर द्वारा दी गयी सूचना/टिप्पणी के आधार पर उक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर [signature]

दिनॉक– 09-09-2020

स्थान– अयोध्या

नाम– (एस०के० शुक्ला)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सरकारी मोहर पूर्वी वृत्त, उ०प्र०

अयोध्या